



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक - 22.09.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.09.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	धामपुर	परवेज पुत्र खिलाफत निवासी ग्राम नीदडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.	धामपुर	शराफत पुत्र लियाकत नि०गण ग्राम नीदडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.	नगीना	नरेन्द्र सिंह पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम सराय पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
4.	शेरकोट	नसरुद्दीन पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम रामसहायवाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 22.09.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 375/25 धारा 305(ए) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी किये एक जीवित भैंसा(कटरा) सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.ओमपाल सिंह पुत्र जगराम सिंह व 2.रूपराम सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर तथा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का भैंसवंशीय पशु (कटरा) चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 375/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित जितेन्द्र पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को एक भैंसवंशीय पशु (कटरा) सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जितेन्द्र पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी विवरण-

एक भैंसवंशीय पशु (कटरा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी सरित सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी विपिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 22.09.2025

**थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 378/25 धारा 191(2)/352/351(3)/132
बीएनएस से संबंधित 06 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2025 को उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा थाना स्योहारा पर अभियुक्तगण 1.प्रदीप चौहान निवासी मौ0 मोटा महादेव बिजनौर, 2.अमित चौहान उर्फ बिल्लू चौहान निवासी ग्राम खेडी ककरौली मुजफ्फरनगर सहित नामित 06 अभियुक्तों द्वारा थाने के बाहर हंगामा करते हुए उ0नि0 उपरोक्त के साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 378/25 धारा 191(2)/352/351(3)/132 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 06 अभियुक्तगण 1. प्रदीप चौहान पुत्र रामकरण सिंह निवासी मौ0 मोटा महादेव जनपद बिजनौर 2. अमित चौहान उर्फ बिल्लू चौहान पुत्र ओमप्रकाश सिंह ग्राम खेडी थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर 3. नितिन चौहान पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी मौजमपुर जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 4. शादान उर्फ भूरी पुत्र सलीम निवासी शेखान थाना स्योहारा बिजनौर 5. वकील अहमद पुत्र सलीम अहमद नि0 उपरोक्त 6. अजीत पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम दौलताबाद थाना स्योहारा बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

- 1.प्रदीप चौहान पुत्र रामकरण सिंह निवासी मौ0 मोटा महादेव जनपद बिजनौर।
- 2.अमित चौहान उर्फ बिल्लू चौहान पुत्र ओमप्रकाश सिंह ग्राम खेडी थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3.नितिन चौहान पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी मौजमपुर जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 4.शादान उर्फ भूरी पुत्र सलीम निवासी शेखान थाना स्योहारा बिजनौर।
- 5.वकील अहमद पुत्र सलीम अहमद निवासी शेखान थाना स्योहारा बिजनौर।

6. अजीत पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम दौलताबाद थाना स्योहारा बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० कुलवीर सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. उ०नि० यश देव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. उ०नि० राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. का० 1694 पंकज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. है०का० सतेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. हे०का० 689 पुष्पेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7. का० 1229 विवेचक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
8. का० 96 प्रदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना बढापुर

दिनांक 22.09.2025

**थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 151/25 धारा 69/352/351(3)/115(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2025 को वादिया ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजा कुरैशी पुत्र शाहिद कुरैशी निवासी मौहल्ला नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया गया तथा दिनांक 19.09.2025 को अभियुक्त राजा व उसके परिजनो द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 151/25 धारा 69/352/351(3)/115(2)/191(2) बीएनएस बनाम राजा कुरैशी आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 191(2) बीएनएस का लोप किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त राजा कुरैशी पुत्र शाहिद कुरैशी निवासी मौहल्ला नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राजा कुरैशी पुत्र शाहिद कुरैशी निवासी मौहल्ला नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक मृदुल कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 354 हरेन्द्र मलिक थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 812 सुमित पंवार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. का0 1922 श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना नांगल

दिनांक 22.09.2025

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 129/25 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2025 को वादिया ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्त नुकुल उर्फ मुकुल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सलेमपुर मथना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया गया तथा शादी के लिए कहने पर मारपीट करने की धमकी दी गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 129/25 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नुकुल उर्फ मुकुल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सलेमपुर मथना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नुकुल उर्फ मुकुल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सलेमपुर मथना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 गौरव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
3. का0 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर
4. का0 156 रोहित थाना नांगल जनपद बिजनौर